कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज०)

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल, कोटा
Email :- nnksouth@gmail.com, Website :- https://kotamcsouth.org/

क्रमांकः— ननिको(द) / जनस्वा. / 2025 / 969—981 दिनांकः— 17.02.25

—: अल्पकालीन निविदा सूचना (ई—टेण्डरिंग) :—

नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त NGOs से **Animal Birth Control Programme in stray dogs** के कार्य हेतु ऑनलाईन ई—निविदा आमंत्रित की जाती है। इस कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने, प्राप्त करने की तिथि व निविदा की शर्ते इत्यादि नगर निगम की वेबसाईट https://kotamcsouth.org/, http://sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। अन्य जानकारी हेतु नगर निगम, कोटा दक्षिण के प्रशासनिक भवन में कमरा नं0 239 में सम्पर्क कर सकते है। निविदा के किसी भाग को अथवा निविदा को निरस्त करने का अधिकारी सक्षम प्राधिकारी, नगर निगम, कोटा दक्षिण को निहित होगा।

1. निविदा अपलोड करने की तिथि : 17.02.25 से 24.02.25 तक (सांय 06:00 बजे तक)
2. निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 17.02.25 से 24.02.25 तक (सांय 06:00 बजे तक)
3. निविदा शुल्क / प्रोसेसिंग फीस / अमानत राशि प्रस्तुत करने की तिथि : 25.02.25 (दोपहर 03:00 बजे तक)
4. निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि : 27.02.25 (सांय 04:00 बजे)

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमानित राशि	अमानत राशि	टेण्डर फीस	प्रोसेसिंग फीस
1	नगर निगम कोटा दक्षिण के क्षेत्र में **Animal Birth Control Programme in stray dogs** के कार्य का वार्षिक अनुबंध।	25,00,000 / —	50,000 / —	2000 / —	500 / —

नोटः— (1) निविदा में भाग लेने वाले संवेदक / फर्मो द्वारा निविदा से संबंधित धरोहर राशि, निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क नगर निगम कोटा दक्षिण की वेबसाईट https://kotamcsouth.org/ पर जाकर ऑनलाईन जमा कराई जा सकेगी। डी.डी. / चैक मान्य नहीं होगा। जिसकी ऑनलाईन जमा रसीद की प्रति तकनीकी बिड में संवेदक को अपलोड करनी होगी। इसके अभाव में संवेदक को असफल कर दिया जावेगा। निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग फीस (Non-Refundable) वापस नहीं की जावेगी।

आयुक्त
नगर निगम, कोटा दक्षिण

क्रमांकः— ननिको(द) / जनस्वा. / 2025 / 969—981 दिनांकः— 17.02.25

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान् महापौर महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
2. श्रीमान् उपमहापौर महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
3. श्रीमान् नेता प्रतिपक्ष महोदय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
5. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
6. उपायुक्त जोन प्रथम / द्वितीय, नगर निगम, कोटा दक्षिण।
7. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम कोटा दक्षिण।
8. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम कोटा दक्षिण।
9. प्रोग्रामर, कमरा नम्बर 325, नगर निगम, कोटा दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा, निविदा प्रपत्र एवं शर्ते वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. ई—गर्वनेन्स (ओसवाल डाटा प्रोसेसर) प्रभारी को भेजकर लेख है कि नगर निगम की वेबसाईट पर डालें।
11. पुस्तकालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन नियमानुसार राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्रों में आज ही प्रकाशित करावें।
12. गार्ड फाईल।

आयुक्त
नगर निगम, कोटा दक्षिण

नगर निगम कोटा दक्षिण के क्षेत्र में Animal Birth Control Programme in stray dogs के कार्य का वार्षिक अनुबंध की शर्ते :–

निविदा भरने की शर्ते :–

1. निविदा में भाग लेने वाले संवेदक/फर्मों द्वारा निविदा से संबंधित धरोहर राशि, निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क नगर निगम कोटा दक्षिण की वेबसाईट https://kotamcsouth.org/ पर जाकर ऑनलाईन जमा कराई जा सकेगी। डी.डी./चैक मान्य नहीं होगा। जिसकी ऑनलाईन जमा रसीद की प्रति तकनीकी बिड में संवेदक को अपलोड करनी होगी। इसके अभाव में संवेदक को असफल कर दिया जावेगा। निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग फीस (Non-Refundable) वापस नहीं की जावेगी।
2. संवेदक को धरोहर राशि, निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन जमा की रसीद की प्रति तकनीकी बिड के साथ संलग्न करनी होगी।
3. निविदा दो पार्ट में होगी तकनीकी बिड की फिडिंग अलग होगी तथा वितीय बिड की फिडिंग अलग होगी। पहले तकनीकी बिड ओपन की जायेगी। उसका परीक्षण होगा तथा तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओ की ही वित्तीय बिड़ खोली जावेगी।
4. **संवेदक द्वारा वित्तीय बिड (ऑनलाईन BOQ) में प्रति श्वान की दर (समस्त कर सहित) (निविदा में वर्णित समस्त कार्यो के साथ) प्रस्तुत करनी होगी। निविदा में स्वीकृत दर के अलावा अलग से संवेदक किसी भी प्रकार की राशि की मांग नही करेगा एवं सभी राज्य एवं गैर राज्य/केन्द्रीय सरकार के करो का दायित्व स्वंय संवेदक का होगा। सभी प्रकार के करो की देयता का दायित्व संवेदक का होगा।**
5. **निविदा शर्तो को स्वीकार करने के लिए निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ (एनेक्सर ए, बी, सी, डी सहित) पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है।**
6. सफल संवेदक को निविदा स्वीकृत होने पर 7 दिवस में नियमानुसार अनुमानित व्यय का 0.15 प्रतिशत के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र हेतु एवं 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (कार्य की अनुमानित राशि का) जमा कराना होगा।
7. संवेदक को निविदा में स्थाई पता प्रमाणीकरण हेतु आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पेन कार्ड/ एवं अन्य दस्तावेज आदि की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
8. सवेंदक को निविदा में श्रम विभाग द्वारा जारी लेबर लाईसेन्स (कॉनटेक्ट लेबर एक्ट 1970) की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। लेबर लाईसेन्स नहीं होने की स्थिति में एक माह में लेबर लाईसेन्स बनाकर प्रस्तुत करने हेतु राशि रूपये 50/– के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. संवदेक को निविदा में पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के पंजीयन के प्रमाण पत्र की प्रति की प्रस्तुत करनी होगी।
10. संवेदक को निविदा में जी.एस.टी. पंजीयन की छाया प्रति तथा पेन कार्ड प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
11. संवेदक को निविदा में **गत तीन वित्तीय वर्ष (वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25) का आयकर रिटर्न के साथ सी.ए. प्रमाणित बैलेंस शीट एवं प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। (वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25)**
12. संवेदक का नगर निगम, कोटा के किसी भी मेयर/पार्षद/अधिकारी/कर्मचारी के परिवार से रक्त संबंध नहीं होने का शपथ–पत्र नोटेरी प्रमाणित। (50/– रू0 नॉन ज्यूडिशियल) प्रस्तुत करना होगा।
13. संवदेक को विगत एक वर्ष में स्वयं की फर्म डी–बार/ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र नोटेरी प्रमाणित (50/– रू0 नॉन ज्यूडिशियल) प्रस्तुत करना होगा।
14. निविदा की बिड की वैद्यता बिड भरने की आखरी दिनांक से 120 दिवस की रहेगी।
15. संवेदकों की दर समान प्राप्त होने पर निर्णय सम्पूर्ण पारदर्शिता को अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
16. नगर निगम कोटा दक्षिण किसी बिड को स्वीकार करने, अस्वीकार, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
17. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
18. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती हैतो उसके अगले कार्यदिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
19. जानबूझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो उक्त स्थिति में निविदा को निरस्त माना जायेगा।
20. समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम कोटा दक्षिण उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्विपत्र/संशोधन ई–प्रोक्योरमेन्ट/एसपीपीपी पोर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम कोटा दक्षिण उत्तरदायी नहीं है।

J. यदि निविदा में फर्म के प्रोपराईटर/मालिक द्वारा किसी प्रतिनिधि को बिड दस्तावेज में हस्ताक्षर करने हेतु नियुक्त किया जाता है तो उस संबंध में निविदा में हस्ताक्षर करने की पावर ऑफ अर्टनी प्रस्तुत करनी होगी।

21. संवेदक को किसी भी नगरीय निकाय/सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में Animal Birth Control Programme in stray dogs के कार्य का एक वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र निविदा में प्रस्तुत करना होगा।

22. संवेदक को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया से संस्था का मान्यता का प्रमाण पत्र निविदा में प्रस्तुत करना होगा।

23. फर्म/एन.जी.ओ किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या अनुदान किसी भी रूप में प्राप्त कर रहा हो वो फर्म/एन.जी.ओ उक्त निविदा में पात्रता नही रखेगी। यदि कोई अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है तो राशि 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

कार्य की शर्ते :–

1. कार्य की अवधि एक वर्ष की होगी। कार्य संतोष जनक रहने पर आपसी सहमति से RTPP Rules 2013 के अनुसार समयावधि बढाई जा सकेगी।
2. नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा स्थापित श्वान केन्द्र जो बन्धा धर्मपुरा गौशाला में स्थित को संचालन करना होगा।
3. श्वान केन्द्र के निरीक्षण के दौरान केन्द्र में गंदगी होने पर या अनियमितता पाए जाने पर निगम में अधिकृत अधिकारी द्वारा रू. 1000/– प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जा सकती है।
4. संवेदक का कार्य संतोषजनक न होने पर निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति के साथ रिपोर्ट पेश करने का अधिकार होगा। जिस पर निगम के प्राधिकारी द्वारा निविदा निरस्त की जा सकती है।
5. श्वान केन्द्र में अवरूद्ध श्वानों का रख–रखाव ऑपरेशन के पूर्व व पश्चात् भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन Extra Ordenary-1923 दिनांक 24.12.2001 में दी गई व्यवस्था अनुसार रखना होगा।
6. श्वान केन्द्र में रखे जा रहे श्वानो के भोजन एंव औषधियों का व्यय संवेदक को करना होगा। औषधियो/उपकरणो/रैबीज टीको का दिन, प्रतिमाह बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा। फर्म/एन.जी.ओ को प्रतिमाह 05 तारीख से पुर्व बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तत्पश्चात श्वानो के टेस्टिकल, ओवरिज नगर निगम कोटा दक्षिण एवं नोडल अधिकारी ए.बी.सी द्वारा गिनती की जावेगी। नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा सत्यापन के पश्चात् संवेदक को सभी ऑर्गन का निस्तारण **बायो–मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रूल्स** के अनुसार करना होगा।
7. श्वान केन्द्र संचालन में नियुक्त सभी स्टॉफ का प्रबंधन संवेदक को करना होगा व उस पर होने वाला व्यय भी संवेदक को करना होगा एवं प्रंबधक को प्रतिदिन प्रभारी श्वान घर के साथ रिकॉर्ड संधारित करना होगा।
8. श्वान केन्द्र बन्धा धर्मपुरा गौशाला में बधियाकरण हेतु शहर से श्वान पकडवाने का कार्य बिना किसी प्रकार की क्रूरता के संवेदक को करना होगा।
9. श्वान पकडने में प्रयुक्त वाहन व स्टॉफ की व्यवस्था व उस पर होने वाले व्यय संवेदक को करना होगा।
10. श्वान पकडने एवं छोडते समय श्वान नियंत्रण हेतु जारी भारत सरकार के राजपत्र एनीमल बर्थ कंट्रोल (डॉग्स) रूल्स 2001 में दी गई व्यवस्था का पालन करना होगा।
11. फर्म/एन.जी.ओ.एस को ए.बी.सी रूल्स 2001 एंव AWBI द्वारा जारी गाइडलाइन पर कार्य करना होगा।
12. पकडे गये श्वानों एवं बद्धियाकरण किए गए श्वानों का क्षेत्रवार एवं दैनिक सांख्यिकीय ब्यौरा संवेदक को रखना होगा। निगम अधिकारी/निरीक्षक द्वारा रिकॉर्ड मांगने पर उपलब्ध करवाना होगा।
13. बद्धियाकरण किए गए श्वानों के अण्डकोष को भौतिक सत्यापन हेतु रखना होगा। कार्य का भौतिक सत्यापन स्वायत्त शासन विभाग के ए.बी.सी प्रोग्राम के नोडल अधिकारी पशु चिकित्सक एवं नगर निगम कोटा दक्षिण के अधिकारियों द्वारा सयुक्त रूप से किया जावेगा।
14. संवेदक को प्रतिमाह लगभग 500 (नर–मादा) श्वानों का बद्धियाकरण एवं टीकाकरण करना होगा।
15. बद्धियाकरण के साथ ही तीन वर्षीय रेबीज वैक्सीनेशन करना अनिवार्य होंगा।
16. फर्म/एन.जी.ओ द्वारा कोटा शहर से पकडे हुए श्वानो को GPS Based online dog identification catching करनी अनिवार्य होगी।
17. संवेदक को नगर निगम कोटा दक्षिण से कार्य के भुगतान पेटे प्राप्त होने वाली राशि पर राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा अधिरोपित करों का भुगतान स्वयं द्वारा करना होगा।
18. संवेदक को कार्यादेश देने के पश्चात् 07 दिवस के अंदर तत्काल कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि संवेदक को दिए गए आदेश के अनुरूप कार्य नही करता है या कार्य संतोषप्रद नही होने पर यदि कार्य निगम को अपने स्तर

पर अथवा अन्य किसी एजेन्सी से कार्य करवाना पडे तो उस रिस्क एण्ड कोस्ट पर हर्जा–खर्जा संवेदक से वसूल किया जायेगा।

19. फर्म या एनजीओं द्वारा ए.बी.सी. प्रोग्राम में जीएसटी कर एवं श्रमिकों के ईएसआई/पीएफ की समस्त जिम्मेदारी स्वंय को ही वहन करनी होगी।

20. फर्म या एनजीओं द्वारा श्वान बधियाकरण एवं टीकाकरण के साथ–साथ रेबीजग्रस्त श्वानो को एवं जो आमजन को नुकसान कर सकते है, को पकडना आवश्यक होगा इस प्रकार के श्वानो को पकडने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी एवं आवश्यक उपकरण रखना आवश्यक होगा।

21. नगर निगम कोटा दक्षिण बिना कारण बताऐ निविदा निरस्त कर सकती है। एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अतिंम निर्णय माननीय महापौर व आयुक्त महोदय नगर निगम कोटा दक्षिण का होगा।

22. किसी भी न्यायिक अथवा गैर न्यायिक वाद–विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षैत्राधिकार कोटा स्थित न्यायालय होगा।

23. संवेदक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि कार्य संतोषजनक रहने के पश्चात् कार्यावधि समाप्त होने पर वापिस की जावेगी।

24. नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा ए.बी.सी. प्रोग्राम हेतु निम्न सुविधायें दी जावेगी –

1 डॉग शेल्टर/केनल
2 ऑपरेशन थियेटर
3 लाईट कनेक्शन
4 पानी कनेक्शन
5 सी.सी. टीवी (ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग के लिए)

निगम द्वारा उपलब्ध करवाये गये उक्त सुविधाओं के संधारण की जिम्मेदारी संवदेक की होगी। सभी प्रकार के बिजली बिल व पानी बिल इत्यादि संवेदक द्वारा वहन किये जावेंगे।

25. सवेंदक को Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960 and Animal Birth Control (DOGS) Rules, 2001 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना होगा।

26. संवेदक को सभी श्वानों को ऑपरेशन के पश्चात् स्वस्थ हो जाने पर नगर निगम कोटा दक्षिण के निर्देशानुसार छोड़ना होगा।

27. संवेदक को टीकाकरण किये गये प्रत्येक श्वान पर पहचान के तौर पर दायें कान पर "V-notch" तथा गले में कॉलर लगाना होगा।

28. संवेदक को टीकाकरण व बंध्याकरण कार्य हेतु योग्य पशु चिकित्सक (Veterinary Council of India/ State Veterinary Council से मान्यता प्राप्त) लगाने होंगे। पशु चिकित्सक को श्वानों से संबंधित समस्त रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र में संधारित करना होगा।

29. संवेदक को चिन्हित क्षेत्र से श्वान पकड़ने हेतु मासिक शिड्यूल नगर निगम कोटा दक्षिण के समस्त वार्डों को समाहित करते हुए निर्देशानुसार बनाना होगा।

30. संवेदक द्वारा इस कार्य हेतु नियोजित किये गये समस्त स्टाफ का नियमित रूप से रैबीज का टीकाकरण करवाना होगा। साथ ही समस्त स्टाफ को आईडी कार्ड स्वयं के खर्चे पर जारी करने होंगे।

31. संवेदक को अपने समस्त स्टाफ का नियमित मेडिकल चैकअप करवाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी स्टाफ किसी संक्रामक बिमारी से ग्रसित न हो।

32. संवेदक द्वारा नियोजित समस्त स्टाफ को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की जिम्मेदारी संवदेक की होगी तथा पी.एफ. एवं ई.एस.आई. से संबंधित समस्त दायित्व संवेदक का होगा। संवेदक को श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी होने वाली गाईडलाईन अनुसार कार्य करना होगा। फर्म को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक प्रतिमाह अपने अधीन कार्मिकों को भुगतान करना बाध्यकारी होगा। नगर निगम द्वारा संबंधित फर्म के बिल भुगतान से इसका कोई संबंध नही होगा।

33. संवेदक को उच्चतम न्यायालय की गाईडलाईन अनुसार Animal Birth Control Programme in stray dogs का कार्य करना होगा।

34. फर्म द्वारा सामुहिक कार्य बंद करने से पहले 15 दिवस पूर्व सूचना देने होगी। अचानक सामुहिक रूप से कार्य बंद करने की स्थिति में 10,000/– शास्ती प्रतिदिन आरोपित होगी साथ ही संवेदक को 5 वर्ष के लिए संबंधित कार्य की निविदा में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित करने के लिए निगम स्वतंत्र होगा तथा निगम संवेदक की रिस्क एण्ड कोस्ट के अनुसार कार्य कराने हेतु स्वतंत्र होगा जिसकी पूर्ति सफल संवेदक से की जावेगी।

35. नगर निगम कोटा दक्षिण की संपत्ति को यदि संवदेक/संवेदक द्वारा नियोजित स्टाफ इत्यादि द्वारा कोई हानि पहुंचाई जाती है तो इसकी भरपाई संवेदक द्वारा 07 दिवस के भीतर की जावेगी। उक्त अवधि में भरपाई नहीं करने पर निगम संवेदक के बिल से आनुपातिक कटौती करने के लिये स्वतंत्र होगा।

36. कार्य के दौरान् किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर सभी प्रकार के पुलिस अथवा न्यायिक प्रसंगो के लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा। इनसे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के क्लेम/दायित्वों के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

37. अन्य शर्ते आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियम तथा नगर पालिका नियमों में शासित होगी। आर.टी.पी.पी. एक्ट सर्वोपरी होगा।

38. अमानत राशि निम्न मामलों में जप्त कर ली जावेगी –

a) जब कार्यादेश देने के बावजूद उल्लेखित समयावधि में कार्य आरम्भ करने में संवेदक असमर्थ रहता है।
b) निविदादाता निर्धारित अवधि में करार को सम्पादित नही करता है।
c) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा के स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव वापस ले लेता है।
d) निविदा की शर्तो की पालना नही करता है।

मैने सलंग्न शर्तो, निर्देशो का भली भॉति अध्ययन कर लिया है, मै उक्त से सहमत हूँ, एवं पालन करूगां।

हस्ताक्षर संवेदक :– ....
नाम :– ....
पता :– ....
फोन नं./मो0 नं. :– ....

आयुक्त
नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज०)

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी.ए.डी. सर्किल, कोटा

Email :- nnksouth@gmail.com, Website :- https://kotamcsouth.org/

तकनीकी निविदा प्रपत्र

नगर निगम कोटा दक्षिण के क्षेत्र में Animal Birth Control Programme in stray dogs के कार्य का वार्षिक अनुबंध।

फर्म का नाम : ....

अनुमानित राशि :– 25,00,000/–

- निविदा अपलोड करने की तिथि : 17.02.25 से 24.02.25 तक (सांय 6.00 बजे तक)
- निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 17.02.25 से 24.02.25 तक (सांय 6.00 बजे तक)
- निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस/अमानत राशि प्राप्त करने की तिथि 25.02.25 (दोपहर 03:00 बजे तक)
- निविदा की तकनीकी बिड खोलने की तिथि 27.02.25 (सांय 04:00 बजे)

क्र.सं.	तकनीकी बिड़ के साथ निम्न दस्तावेज जो संलग्न करने है।	संलग्न हां/नहीं	संलग्न पेज सं.
1.	स्थाई पता प्रमाणीकरण हेतु आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पेन कार्ड/ एवं अन्य दस्तावेज आदि की प्रति।		
2.	धरोहर राशि, निविदा शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन जमा की रसीद की प्रति।		
3.	निविदा प्रपत्र प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित		
4.	पेन कार्ड की प्रति		
5.	एनेक्सर ए, बी, सी, डी हस्ताक्षरयुक्त।		
6.	तकनिकी निविदा भरते समय ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करनी होगी। ई.पी.एफ व ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन नही होने की स्थिति में तकनिकी निविदा से बाहर समझा जावेगा।		
7.	जी.एस.टी. पंजीयन की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।		
8.	गत तीन वित्तीय वर्ष (वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25) का इनकम टैक्स का रिटर्न के साथ सी.ए. प्रमाणित बैलेंस शीट एवं प्रॉफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। (वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25)		
9.	फर्म ब्लेक लिस्ट न होने का राशि रूपये 50/– स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित मूल शपथ पत्र।		
10.	संवेदक को निगम के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/पार्षद से ब्लड रिलेशन नही होने बाबत रू0 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित मूल शपथ पत्र तकनिकी निविदा में प्रस्तुत करना होगा।		
11.	श्रम विभाग द्वारा जारी लेबर लाईसेन्स (कॉनटेक्ट लेबर एक्ट 1970), लेबर लाईसेन्स नहीं होने की स्थिति में एक माह में लेबर लाईसेन्स बनाकर प्रस्तुत करने हेतु राशि रूपये 50/– के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।		
12.	एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया से संस्था का मान्यता का प्रमाण पत्र।		
13.	किसी भी नगरीय निकाय/सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में Animal Birth Control Programme in stray dogs के कार्य का एक वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र।		

नोट :– 1. उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित होने चाहिये एवं वांछित मूल शपथ पत्र आवश्यक रूप से जमा करावें तथा उक्त दी गई सूचनाएं मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा हमारी फर्म निविदा की समस्त शर्तों एवं नियमों की पालना करने के लिये सहमत है।

हस्ताक्षर संवेदक

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, कोटा दक्षिण

आयुक्त
नगर निगम, कोटा दक्षिण

वित्तीय निविदा प्रपत्र

आयुक्त
नगर निगम, कोटा दक्षिण

आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

फर्म का नाम : ....

1. निविदा अपलोड करने की तिथि : 17.02.25 से 24.02.25 तक (सांय 6.00 बजे)
2. निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) : 17.02.25 से 24.02.25 तक (सांय 6.00 बजे)
3. निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस/अमानत राशि प्रस्तुत करने की तिथि : 25.02.25 (दोपहर 03.00 बजे तक)
4. अनुमानित व्यय राशि : 25,00,000/–
5. निविदा शुल्क : 2000/–
6. प्रोसेसिंग शुल्क : 500/–

क्र.सं	कार्य का नाम	यूनिट	दर प्रस्ताव प्रति यूनिट (समस्त करों सहित)
1	नगर निगम कोटा दक्षिण के क्षेत्र में **Animal Birth Control Programme in stray dogs** के कार्य का वार्षिक अनुबंध।	प्रति श्वान	दर प्रति यूनिट अंकों में .... एवं शब्दों में ....

नोट :–1. दरो के अतिरिक्त कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

नाम ....

पता ....

मोबाईल नं0 ....

Municipal Corporation Kota

ANNEXURE-A

Compliance with the Code of Integrity and No conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including imparing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) Disclose conflict or interest, if any; and
(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

I. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purpose of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the bidder participates in more than on Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than on Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than on Bid; or

f. the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or services that are the subject of the Bid ; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Scanned with CamScanner

Municipal Corporation Kota

ANNEXURE B

Declaration by Bidders regarding Qualifications

Declarations by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to.... for procurement of .. in response to their Notice Inviting Bids No..........Dated.......: I/we here by declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :-

1. I/we posses the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial office, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentation as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict or Interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Scanned with CamScanner

(64)

Municipal Corporation Kota

ANNEXURE- C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is........As Per RTPPAct.

The designation and address of the Second Appellate Authority is.. As Per RTPP Act

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly, giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings;

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to Whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder of the procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases :

No appeal shall lie against any decision of the procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement ;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process ;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations ;

(d) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) the fee shall be paid in the form of blank demand draft or banker's cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal.

(a) The first Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, upon filling of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing the first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents , relevant or copies therefore relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state Public Procurement Portal.

Scanned with CamScanner

Municipal Corporation Kota

ANNEXURE – D

Additional Conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis :

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subjects to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities

(i) at the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Documents may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the bidding documents. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidders, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subjects matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted

Scanned with CamScanner